भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(340)/2000-सीडीएन दिनांकितः 15 सितंबर, 2000

<u>कार्यालय आदेश सं. 14/2000</u>

विषयः सरकारी बकायों की रिकवरी/उत्परिवर्तन/प्रतिस्थापन/भवन योजनाओं के लिए एनओसी/बिक्री, उपहार, बंधक आदि के लिए अनुमति।

सरकार के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय किया गया है किः

(i) यदि संपत्ति में कोई अतिक्रमण है और उत्परिवर्तन/प्रतिस्थापन का अनुरोध प्राप्त होता है, तो अद्यतन सरकारी बकायों की मांग उत्परिवर्तन/प्रतिस्थापन पत्र के साथ-साथ की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्परिवर्ती को उत्परिवर्तन/प्रतिस्थापन पत्र के जारी होने के साथ-साथ अतिक्रमण प्रभारों के बारे में ज्ञात है और इस प्रकार उसे सरकारी बकाये का भुगतान करना है। परिणामस्वरूप यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पट्टा की शर्तों के तहत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) भवन योजनाओं (परिवर्धन, परिवर्तन आदि की योजनाओं सहित) की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रदान करने के पहले पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के कारण सभी अद्यतन सरकारी बकायों की वसूली की जानी चाहिए।

(iii) इसी प्रकार बिक्री/उपहार/बंधक के लिए अनुमति देने के समय पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के लिए बकायों सहित सभी अद्यतन सरकारी बकायों की वसूली की जानी चाहिए।

(एन.पी. रामालिंगम)

सहायक निपटान आयुक्त

प्रति

सभी शाखा अधिकारी/अधीक्षक